

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 108/420 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
की ग
कार्रवाई
बारे

28/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती बिधा महतो पिता/पति मन्तर महतो
मौजा जिगाडा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या- 137
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 18/56-57 के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के सागल जग्गि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>जिगाडा</u>	286	51	231	0.08
			103	0.67
			402	0.80
			06	1.00
			127	1.00
				<u>3.55</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती विद्या महतो

पिता/पति बलराम महतो मौजा-कोकोहार थाना-अड़की,


जिला-खूँटी के नाम से मौजा-कोकोहार थाना नं० 286 खाता सं० 51

प्लॉट सं० 231, 103, 402, 06, 127 रकबा-0.08, 0.67, 0.80, 1.00, 1.00 लगान 4.90 रुपये अलावे

शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप

ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।


अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-कोकोहार

थाना नं० 286 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर

ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।